उत्तर प्रदेश शासन
स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन
(नियोजन विभाग)
संख्या-3/2025(2069 /25)/3/2/35-एस0टी0सी0-2/2024-26
लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2025

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27 मार्च, 2025 में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वित्त विभाग द्वारा प्राविधानित आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3451-00-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-00- योजना आयोग/योजना बोर्ड-06-00-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अर्न्तगत मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हेतु मदवार प्राविधानित धनराशि रूपये-513.00 लाख (रूपये-पांच करोड तेरह लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये-308.00 लाख (रूपये-तीन करोड आठ लाख मात्र) (राजस्व पक्ष) में (मतदेय/ भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने तथा मुख्य विकास अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या-40 (धनराशि लाख रूपयें में)

कोड सं0	**मद नाम**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत आय-व्ययक की अवशेष धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्य विकास अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी के जनपदवार निवर्तन पर रखे जाने हेतु जारी धनराशि**	
01	02	03	**05**	**06**
	06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम	**राजस्व पक्ष**		
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	308.00	1-अलीगढ़	4.00
			2-अंबेडकरनगर	14.40
			3-अमेठी	14.40
			4-बदॉयूं	9.60
			5-बलिया	9.60
			6-बांदा	9.60
			7-बाराबंकी	9.60
			8-बरेली	14.40
			9-बस्ती	9.60
			10-बिजनौर	9.60
			11-देवरिया	4.00
			12-एटा	9.60
			13- फरूखाबाद	9.60
			14-गाजीपुर	9.60
			15-गोंडा	12.00
			16-गोरखपुर	9.60
			17-हरदोई	4.00
			18-जालौन	9.60
			19-जौनपुर	9.60

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कोड सं0	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत आय-व्ययक की अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्य विकास अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी के जनपदवार निवर्तन पर रखे जाने हेतु जारी धनराशि	
01	02	03	05	06
			20-कासगंज	9.60
			21-कौशाम्बी	9.60
			22-लखीमपुर खीरी	9.60
			23-कुशीनगर	4.00
			24-ललितपुर	4.00
			25-महाराजगंज	4.00
			26-महोबा	4.00
			27-मिर्जापुर	9.60
			28-पीलीभीत	4.00
			29-प्रयागराज	9.60
			30-रामपुर	4.00
			31-संभल	9.60
			32-संत कबीरनगर	4.00
			33-संत रविदासनगर	4.00
			34-सीतापुर	4.00
			35-चंदौली	4.00
			36-सोनभद्र	4.00
			37-श्रावस्ती	4.00
			38-चित्रकूट	4.00
			39-बहराइच	4.00
			40-फतेहपुर	4.00
			41-सिद्धार्थनगर	4.00
			42-बलरामपुर	4.00
	राजस्व पक्ष कुल योग-	**308.00**	**-**	**308.00**

(रूपये- तीन करोड आठ लाख मात्र)

2- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्ष-3451-00-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-00- योजना आयोग/योजना बोर्ड-06-00-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अर्न्तगत आय-व्ययक में प्राविधानित मदवार धनराशि रूपये-205.00 लाख (रूपये-दो करोड पॉच लाख मात्र)(राजस्व पक्ष) में तथा लेखाशीर्ष-5475-00-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-00-अन्य व्यय-09-00-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हेतु धनराशि रूपये-2.00 लाख (रूपये-दो लाख मात्र) (पूंजीगत पक्ष) के अर्न्तगत होने वाला व्यय सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहें है।

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-3/2025(2069 /25)/3/2/35-एस0टी0सी0-2/2024-26, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन-15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27 मार्च, 2025 के संबंध में ।
6- अनुभाग अधिकारी (लेखा) नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- आहरण वितरण अधिकारी, स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन।
10- संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
10- नियोजनअनुभाग-1
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।